



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा वीकेंड लॉकडाउन के प्रति लोगो को किया गया जागरूक एवं नियमों के उल्लंघन पर किये गये चालान

कार्यवाही का भी संदेश दिया गया। इस बीच आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। पैदल गस्त के दौरान लोगो को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए “02 गज की दूरी मास्क है जरूरी” का संदेश दिया गया एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर **22 ई-चालान, 40 व्यक्तियों से 8700/-रु० शमन शुल्क वसूला गया।**



आज दिनांक 24.04.2021 को उ०प्र० शासन द्वारा लागू किये गये **वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार रात्रि 08.00 बजे से सोमवार प्रातः 07.00 बजे तक)** का जनपद में पालन कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय चरखारी पुलिस बल के साथ एवं जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके आमजन एवं दुकानदारों को **वीकेंड लॉकडाउन** का पालन करने की हिदायत दी गई। वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



वीकेंड लॉकडाउन के दौरान फायर सर्विस टीम द्वारा किया गया सैनेटाइजेशन का कार्य

आज दिनांक 24.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **वीकेंड लॉकडाउन** के दौरान कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया।

1. थाना कुलपहाड़
2. थाना पनवाड़ी
3. थाना अजनर
4. चौकी बेलाताल
5. थाना महोबकंठ
6. थाना चरखारी
7. थाना खरेला
8. चौकी रेवई
9. चौकी सूपा
10. सीओ चरखारी आवास
11. तहसील चरखारी
12. एसडीएम चरखारी आवास
13. आल्हा चौक
14. ऊदल चौक
15. हवेली दरवाजा मार्केट
16. तिवारी मार्केट
17. पुलिस अधीक्षक आवास
18. अपर पुलिस अधीक्षक आवास
19. पुलिस लाइन
20. जिला जज कार्यालय
21. कचहरी परिसर

